

# कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

क/एफ-169/स्टे.आयु./2021-22/1014

भिलाई, दिनांक 09/09/2021

## // आदेश //

मैं प्रकाश कुमार सर्वे (रा.प्र.से.) आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 69(4) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन नगर पालिक निगम भिलाई के जोन कार्यालयों को प्रशासनिक एवं वित्तीय रूप से सशक्त बनाने एवं कार्यों का सुचारू रूप से शीघ्रता से निराकरण की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा नियुक्त जोन आयुक्तों को निम्नानुसार शक्तियों एवं अधिकारों को प्रत्यायोजित करता हूँ।

1. संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ का पत्र क./चार/ले. अनु/2015-16/9238 नवा रायपुर दिनांक 15.09.2015 के अनुक्रम में नगरीय सेवाओं हेतु संधारण एवं मरम्मत कार्य के लिए आबंटित निधि को प्रत्येक वार्ड के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष 10.00 लाख रुपये अंतर्गत उल्लेखित सूची अनुसार मूलभूतकार्य के लिए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं देयक भुगतान किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।
2. संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ के आदेश क./एफ-5-56 /2014/18 नया रायपुर अटल नगर दिनांक 12 सितम्बर 2019 में 20.00 लाख से कम लागत के कार्यों को ई - टेंडर से मुक्त रखा गया है। उक्त आदेश के अनुक्रम में जोन कार्यालय अंतर्गत अधोसंरचना मद, राज्य प्रवर्तित योजना, 14 वें वित्त 10.00 लाख तक प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति, निविदा आमंत्रण, अनुबंध, कार्यादेश जारी करने तथा कार्य के पश्चात् देयक भुगतान के लिए नस्ती लेखा शाखा के माध्यम से अंतिम स्वीकृति एवं भुगतान वित्तीय सीमा तक जोन आयुक्त द्वारा किया जावेगा।
3. पार्वद निधि के अंतर्गत प्रत्येक वार्ड के लिए शासन द्वारा राशि रु. 4.00 लाख आबंटित निधि एवं एल्डरमेन निधि के अंतर्गत राशि रु. 3.00 लाख आबंटित निधि को छ. ग. शासन संचालनालय नगरीय प्रशासन रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 5-12/2015/18 दिनांक 04.12.15 एवं आदेश क्रमांक एफ 5-12/2015/18 दिनांक 30.05.17 में जारी दिशा निर्देश के अनुसार कार्य के लिए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं देयक भुगतान किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है। इस मद के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति, निविदा प्रक्रिया अनुबंध, कार्यादेश, देयक भुगतान की सम्पूर्ण कार्यवाही जोन कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
4. सांसद निधि, विधायक निधि, महापौर निधि, के 10.00 लाख अंतर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति, निविदा आमंत्रण, अनुबंध, कार्यादेश एवं देयक भुगतान किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।
5. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निकाय का मूलभूत मद में प्राप्त होने वाली राशि को किस्तों में जारी किया जायेगा। जारी किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आगामी किस्त जारी किया जायेगा। प्रत्येक माह व्यय होने वाली राशि का विवरण लेखाधिकारी को माह के 25 तारीख तक निर्धारित प्रारूप में भेजा जाना अनिवार्य होगा। तिथि 25 से माह अंत तक किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।

क्रमांक:.....

6. अनुदान राशि को जोन में प्रचलित बैंक खाते में संधारण किया जाना होगा। प्रथम किश्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही द्वितीय किश्त की राशि जारी कि जावेगी।
7. मूलभूत सुविधा मद की राशि का किसी एक कार्य में उपयोग करने हेतु प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक कार्य हेतु अधिकतम लागत सीमा 3.00 लाख रुपये की होगी।
8. उपरोक्त उल्लेखित मद की राशि का उपयोग विद्युत बिल, वेतन, पेट्रोल, डीजल, रटेशनरी आदि पर व्यय नहीं किया जायेगा।
9. उपरोक्त उल्लेखित मद का लेखा संधारण जोन कार्यालय में किया जायेगा।
10. उपरोक्त उल्लेखित मद वित्तीय सीमा के कार्यों की स्वीकृति, अनुबंध, कार्यादेश एवं निविदा प्रक्रिया की सम्पूर्ण कार्यवाही जोन कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
11. भुगतान से संबंधित समस्त देयकों का चार्टड एकांउटेंट से परीक्षण उपरांत भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
12. उल्लेखित मद में ठेकेदारों के देयकों से काटा गया आयकर सी.पी.आई.सी., सी.टी. के भुगतान की समस्त कार्यवाही नियमानुसार जोन आयुक्तों द्वारा किया जावेगा एवं समयावधि में संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
13. छत्तीसगढ़ भंडार क्य नियम एवं पी.डब्लू.डी. वर्क्स मैन्यूअल एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम एवं तत्संबंधित जारी शासन आदेशों का पालन अनिवार्य होगा।
14. जोन कार्यालय के अधीन समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति का अधिकार जोन आयुक्त को वेष्ठित किया जाता है।
15. जोन कार्यपालन अभियंता एवं सहायक अभियंता को छोड़कर जोन कार्यालय के अधीन समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशासनिक नियंत्रण एवं अधिकारियों/कर्मचारियों पर सिविल सेवा आचरण नियम एवं सेवा भर्ती नियम में वेष्ठित प्रावधान हेतु जोन आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा एवं उपरोक्त मद के कार्यों में किसी भी प्रकार अनियमितता के लिए जोन आयुक्त स्वयं जवाबदार होंगे।





(प्रकाश कुमार सर्व)  
रा.प्र.से.  
आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
मिलाई

पृ. क / एफ-166 / स्टे.आयु. / 2021-22 / 4015  
प्रतिलिपि:-

भिलाई, दिनांक २१/०९/२५

1. कलेक्टर सह प्रशासक, नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता I/II, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त, I/II, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
5. जोन आयुक्त, जोन-1,2,3,4 एवं 5 नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. कार्यपालन अभियंता, जोन-1,2,3,4 एवं 5, जलकार्य/वाहन/स्टोर्स/ उद्यान/ कम्प्युटर/ भवन संधारण, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
7. प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम भिलाई को निगम के वेबसाईट (आदेश फाईल) में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।
8. संबंधित विभाग प्रमुख ..... नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।

  
आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
 भिलाई